न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी : – पूरण कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (DJ Cadre)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 200/2026

CNR No.-RJJR01-000594-2026

1. अर्चना पत्नी लखनप्रतापसिंह पुत्री गंगासिंह, उम्र–32वर्ष, निवासी–ग्राम भगवानसिंह का पूरा, गलैथा, तहसील–जोरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश
2. मुन्नीदेवी पत्नी गंगासिंह, निवासी–उदोतपुरा, तहसील–जालौन, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश
3. सिबरनसिंह पुत्र गंगासिंह, उम्र–35वर्ष, निवासी–उदोतपुरा, तहसील–जालौन, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश

————प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

————अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026, पुलिस थाना–बोरूंदा

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश पारीक, विद्वान् अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2. श्री चैनसिंह गहलोत, विद्वान् लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

:: आदेश :: **दिनांक : 08/06/2026**

1. प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी भूरेसिंह द्वारा पुलिस थाना–बोरूंदा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026, अन्तर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज करवायी गयी थी। जिसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के अन्तर्गत **अग्रिम जमानत** का लाभ दिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान् लोक अभियोजक को दिलायी गयी। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गयी।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। मृतक लखनप्रतापसिंह अत्यधिक नशे का आदि था, जब भी शराब का नशा करता, तब हिंसक व आक्रामक होकर आस–पड़ौस के लोगों से विवाद करना व स्वयं को

नुकसान पहुंचाने जैसी हरकते करता था। मृतक की मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की हाथापाई, चोट व संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक की मृत्यु के पश्चात पीएफ व अन्य लाभ की राशि नियमानुसार मृतक की पत्नी व दो बच्चों को प्राप्त होनी थी, जिसकी सिमेन्ट फैक्ट्री में कागजी कार्यवाही पूर्ण करनी थी, जबकि मृतक के पिता उक्त राशि व क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं व कई बार प्रार्थीया/अभियुक्ता अर्चना को ससुराल छोड़कर जाने के लिए कहा, परन्तु अर्चना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण प्रार्थीया के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। परिवादी ने घटना के 5 माह बाद उक्त झूठा व बनावटी मुकदमा करवाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है, फिर भी पुलिस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को बनावटी मामले में गलत रूप से गिरफ्तार कर परेशान करना चाहती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बहस की गयी है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृतक लखनप्रतापसिंह को तंग, परेशान किया व उन्होंने मिलकर एक साजिश के तहत परिवादी के पुत्र की घर में मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी। अनुसंधान के दौरान हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की सक्रिय रूप से लिप्तता प्रकट हुई है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

4. उपरोक्त पर विचार किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

5. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी भूरेसिंह ने एक परिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उसका पुत्र लखनप्रतापसिंह बिरला व्हाईट लिमिटेड संयंत्र, खारिया खंगार में मजदूरी कर वहीं बच्चों के साथ किराये पर रहता है। इसके पुत्र लखनप्रतापसिंह ने दिनांक 31/07/2025 से एक दिन पहले फोन कर बताया कि इसकी पत्नी अर्चना, सास मुन्नीदेवी व साला सीबरनसिंह व अन्य लोग आए दिन तंग, परेशान कर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इससे एक दिन बाद ही उक्त लोगों ने हितबद्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत परिवादी के पुत्र लखनप्रतापसिंह को घर में मारपीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लखनप्रतापसिंह की पत्नी ने परिवादी को कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी है, वगैरा।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता

का आरोप है। पत्रावली पर अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित अंतिम राय अनुसार ''Cause of death in this subject is asphyxia as a result of antemortem hanging. however deceased has consumed alcohol prior to death." है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मृतक द्वारा शराब पीकर फांसी खाने के साक्ष्य मिले हैं। मृतक द्वारा फांसी किन कारणों के चलते खाई गई, यह अनुसंधान का विषय है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठे तौर पर आलिप्त किया गया हो, ऐसा केस डायरी के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है। हस्तगत प्रकरण धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध से संबंधित है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अर्चना, मुन्नीदेवी, सिबरनसिंह** की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम जमानत** का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** एतद्द्वारा अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश
जोधपुर जिला

7. आदेश आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश
जोधपुर जिला